



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 250 राँची, गुरुवार, 14 वैशाख, 1938 (श०)
4 मई, 2017 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

2 मई, 2017

संख्या- 6 बी०/न०वि०/निविदा समिति-02/2015-2974-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-590 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, झारखण्ड नगरपालिका लेखा मैनुअल (पार्ट-क) में समाहित झारखण्ड नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियमावली, 2012 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ एवं विस्तार :-

- (1) यह नियमावली 'झारखण्ड नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) (संशोधित) नियमावली, 2017' कही जायेगी ।
- (2) यह नियमावली झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी ।

(3) इस नियमावली का विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

2. संशोधन -

झारखण्ड नगरपालिका लेखा मैनुअल (पार्ट-क) में समाहित झारखण्ड नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियमावली, 2012 के नियम-78 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :-

क्र०सं०	नियम-78	संशोधन
1.	नियम-78 (2) नगरपालिका के प्रोक्युरमेंट समिति में अध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित विभाग के प्रतिनिधि एवं वित्त/लेखा विभाग के प्रतिनिधि रहेंगे । अध्यक्ष अपने विवेक से समिति के दायित्व निर्वहन के सहायतार्थ विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त कर सकेंगे ।	नगरपालिका के प्रोक्युरमेंट समिति में कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, संबंधित विभाग के प्रतिनिधि एवं वित्त/लेखा विभाग के प्रतिनिधि रहेंगे ।

3. शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

भवानी प्रसाद लाल दास,
सरकार के विशेष सचिव ।
